

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2019.

[F. No. 354/136/2019- TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note: -The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 4/2018 - Integrated Tax (Rate), dated the 25th January, 2018, *vide* number G.S.R. 72 (E), dated the 25th January, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2019

संख्या 23/2019-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि.740 (अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2018-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018 जिसे सा.का.नि. 67(अ) दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

पैराग्राफ के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“स्पष्टीकरण.—

इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात वहां लागू नहीं होगी जहां विकास के अधिकार की आपूर्ति 1.4.2019 को या उसके बाद की गई हो”।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/136/2019-टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 4/2018-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018 को सा.का.नि 67 (अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2019

No. 23/2019-Central Tax (Rate)

G.S.R. 740 (E).—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.4/2018- Central Tax (Rate), dated the 25th January, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 67(E), dated the 25th January, 2018, namely:-

After paragraph, the following explanation shall be inserted, namely: -

“Explanation.-

Nothing contained in this notification shall apply with respect to the development rights supplied on or after 1st April, 2019.”.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2019.

[F. No. 354/136/2019- TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note: -The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 4/2018 - Central Tax (Rate), dated the 25th January, 2018, *vide* number G.S.R. 67 (E), dated the 25th January, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2019

संख्या 23/2019- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि.741 (अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2018- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018 जिसे सा.का.नि. 78(अ) दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

पैराग्राफ के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“स्पष्टीकरण.—

इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात वहां लागू नहीं होगी जहां विकास के अधिकार की आपूर्ति 1.4.2019 को या उसके बाद की गई हो”।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/136/2019-टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 4/2018- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018 को सा.का.नि 78 (अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2019

No. 23/2019- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R.741(E).— In exercise of the powers conferred by section 21 of Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) read with section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.4/2018- Union Territory Tax (Rate), dated the 25th January, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 78(E), dated the 25th January, 2018, namely:-

After paragraph, the following explanation shall be inserted, namely: -

“Explanation.-

Nothing contained in this notification shall apply with respect to the development rights supplied on or after 1st April, 2019.”.